बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषक हितकारी हमारी योजनाएँ

(कृषक हस्तक)

किसानों के ऑनलाईन पंजीकरण से संबंधित सूचना

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जा रहा है।

सभी किसानों से अनुरोध है कि कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in के दिये गये लिंक KRISHI MIS पर अथवा http://www.krishimis.in पर लॉग–ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।

पंजीकरण से होने वाले लाभ :–

1. किसानों के हित में सभी प्रकार के कृषि अनुदानों/उपादानों का लाभ उठाने के लिए ऑन–लाईन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है।
2. किसानों के ऑनलाईन पंजीकरण के पश्चात् उनके बैंक खाते में सीधे वित्तीय लाभ देने हेतु व्यवस्था की जायेगी।
3. ऑनलाईन व्यवस्था से उपादानों की वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी एवं पारदर्शिता बनी रहेगी।

पंजीकरण कैसे करें :–

1. पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम कृषि विभाग के वेबसाईट **http://www.krishi.bih.nic.in** के दिये गये लिंक *KRISHI MIS* पर अथवा **http://www.krishimis.in** पर लॉग–ईन करें।
2. Farmer Registration के बटन पर क्लिक करें।
3. सभी फिल्ड को ध्यानपूर्वक पढ़कर ठीक से भरें।
4. पासपोर्ट साईज फोटो, पहचान पत्र एवं जाति (श्रेणी/कोटि) प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
5. सभी फिल्ड को दोबारा ध्यान पूर्वक पढ़े और Submit Button पर क्लिक करें।
6. Submit करने के बाद रजिस्ट्रेशन आई०डी० को नोट कर लें तथा Receipt को प्रिन्ट कर लें।

किसान अपने जिला कृषि पदाधिकारी/ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार की सहायता से अथवा अपने नजदीकी वसुधा केन्द्र से भी स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषक हितकारी हमारी योजनाएँ

कृषक हस्तक

वैयक्तिक स्मरणिका

नाम .....

स्थायी पता .....

.....

पत्राचार का पता .....

.....

दूरभाष संख्या (कार्यालय) ..... आवास .....

मोबाईल ..... ई-मेल .....

वाहन संख्या .....

वाहन लाइसेंस संख्या .....

पास बुक संख्या .....

शस्त्र लाइसेंस संख्या .....

बीमा पॉलिसी संख्या .....

प्रीमियम देय तिथि .....

ब्लड ग्रुप .....

पासपोर्ट संख्या .....

जन्म-तिथि .....

वजन ..... ऊँचाई (कद) .....

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अवयव का नाम	पृष्ठ संख्या
❑	यह पुस्तिका क्यों ?	1
1.	मिट्टी स्वास्थ्य, मिट्टी संरक्षण एवं उर्वरक	3
2.	बीज	9
3.	प्रत्यक्षण	15
4.	सिंचाई	21
5.	किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण	23
6.	कृषि यांत्रिकरण	33
7.	बागवानी	44
8.	ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर	56
9.	कृषक हितकारी योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी :	60–75
	❑ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	60
	❑ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	61
	❑ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम	63
	❑ दियारा विकास योजना	64

अनुक्रमणिका

- ❑ भूमि संरक्षण कार्यक्रम 64
- ❑ बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी 66
- ❑ बीज विश्लेषण 71
- ❑ उर्वरता प्रबंधन 73
- ❑ कृषि यांत्रिकरण (कास्टम हायरिंग) 74

10. कृषि से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 76–79
    - (क) कृषि विपणन 76
    - (ख) एकीकृत कृषि 77
    - (ग) कृषि ऋण 78
    - (घ) पौधा संरक्षण 79
- ❑ नक्षत्रों के नाम एवं उनकी अवधि 80
- ❑ जिला स्तरीय पदाधिकारियों का सम्पर्क सूत्र (मोबाईल नं०) 82
- ❑ पौधा संरक्षण प्रभाग के पदाधिकारियों का मोबाईल नं० एवं ई–मेल 85
- ❑ नोट्स 90

यह पुस्तिका क्यों ?

कृषि विभाग (बिहार सरकार) द्वारा किसानों के लिए कृषि विकास से संबंधित कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक योजना से संबंधित दिशानिर्देशों व परिपत्रों में उसके विभिन्न घटकों के लिए सहायता के प्रकार और सहायता की मात्रा बताई गई है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश एवं अन्य विवरण **www.krishi.bih.nic.in** वेब–लिंक पर उपलब्ध है। किसानों के हित में कृषि विभाग की सभी प्रकार के कृषि अनुदानों/उपादानों का लाभ उठाने के लिए ऑन लाईन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है। किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेब साईट **www.krishi.bih.nic.in** के दिये गये लिंक KRISHIMIS पर या **www.krishimis.in** पर लॉग–ईन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के सारांश पर आधारित एक सुलभ डाटाबेस, स्कीम, विषय और सहायता के मापदण्ड **www.krishi.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

कुछ मामलों में कृषि के एक ही घटक के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न जिलों के किसान एक ही फसल के बीज के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एनएमओओपी इत्यादि से छूट ले सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के अनुदान के मानकों और वित्तीय मापदण्डों को सरल रूप में समझानेवाली यह पुस्तिका विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसार विवरण देने के बजाए कृषि के अलग–अलग पहलुओं के अनुसार सूचनाएँ प्रस्तुत की गई है।

इस पुस्तिका में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित विषय शामिल किए गये हैं जैसे, मृदा स्वास्थ्य, मृदा संरक्षण एवं उर्वरक, बीज, सिंचाई, किसानों के लिए

प्रशिक्षण एवं विस्तार, यांत्रिकीकरण, पौधा संरक्षण, बागवानी और समेकित कृषि। इसके अलावा इन विषयों के प्रयोगात्मक पहलुओं से संबंधित विस्तृत सुझावों को भी शामिल किया गया है। अतः हर विषय को चार पहलुओं में बांटा गया है जैसे– उद्देश्य, आप क्या करें ? आप क्या प्राप्त कर सकते हैं ? किससे संपर्क करें ?

यह उपयोगी पुस्तिका केवल बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में लागू कार्यक्रमों/स्कीमों के अनुसार दी गई सहायता का घटकवार विवरण देती है। इस पुस्तिका में जिला स्तर के कृषि विभाग के पदाधिकारियों यथा जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, परियोजना निदेशक आत्मा, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी एवं भूमि संरक्षण पदाधिकारी का सम्पर्क सूत्र किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुलभ कराने के लिए दी गई है। साथ ही, इस पुस्तिका में नक्षत्रों के नाम एवं उनकी अवधि तथा महत्वपूर्ण जानकारी नोट करने के लिए अतिरिक्त पन्नें उपलब्ध है।

सुख सुखराती देव-उठान, तेकरे बरहें करो नेवान।
तेकरें बरहें खेत खरिहान, तेकरे बरहें कोठिले धान ॥

सुख देने वाली रात अर्थात् दिवाली और देवोत्थान एकादशी के व्यतीत होने के बारहवें दिन नया अन्न ग्रहण करो और उसके बारहवें दिन फसल काटकर खलिहान में लाओ और फिर उसके बारहवें दिन धान को लाकर बखार या कोठिला में रखो ।

1. मिट्टी स्वास्थ्य, मिट्टी संरक्षण एवं उर्वरक

क्या करें ?

- मिट्टी की जाँच के आधार पर सही उर्वरक उचित मात्रा में ही डालें।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग जरूर करें।
- उर्वरकों का पूरा लाभ लेने के लिए उर्वरक छिड़कने के बजाय जड़ों के पास डालें।
- फास्फेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें ताकि जड़ों/तनों का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके, विशेष रूप से फलीदार फसले, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडलीय नाईट्रोजन का उपयोग करती है।
- अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूना, क्षारीय/ऊसर भूमि के लिए जिप्सम का प्रयोग करें।
- भारत सरकार के निदेशानुसार दिसम्बर, 2015 से 19 सितम्बर, 2016 तक 4,90,030 मिट्टी जाँच के नमूने संकलित किये गये, जिनमें से 3,41,001 नमूने को विश्लेषित कर राज्य के किसानों के बीच 17,71,447 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

क्या पायें

क्र0 सं0	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना का नाम
मिट्टी सुधार के लिए सहायता			
1.	जिप्सम/पाईराईटस/डोलोमाईट/सल्फर वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रुपया/एकड़ दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।	नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम
2.	सूक्ष्म पोषक तत्व	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रु०/हे0	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
3	पौधा संरक्षण रसायन/खरपतवार नाशक सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रु०/एकड़ दोनो में जो न्यूनतम हो, देय होगा।	नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम
4	चावल/दलहन के लिए पौधा संरक्षण रसायन	500 रू0 प्रति हे0 की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
5	चावल, गेहूँ एवं दलहन फसलों के लिए खरपतवार नाशी रसायन	500 रू0 प्रति हे0 की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
6	गेहूँ, दलहन एवं चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व	रू0 500 प्रति हे0 की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो (अधिकतम 2 हे0 प्रति किसान)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

क्र0 सं0	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना का नाम
7	गेहूँ एवं दलहन में जिप्सम/सल्फर आधारित अन्य उर्वरक वितरण	750 रू0 प्रति हे0 की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
8.	**वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन**		
क.	पक्का वर्मी बेड निर्माण	आकार (10' x3' x2.5') =75 cft. मूल्य का 50% अधिकतम 3000 प्रति ईकाई	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
ख.	व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन (1000, 2000 एवं 3000 मे0ट0/प्रति वर्ष)	परियोजना लागत का 40% अधिकतम क्रमशः 6.40/12.80/20.0 लाख रूपये अनुदान देय	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
ग.	जैविक खेती का अंगीकरण	0.10 लाख/हे० अनुदान तीन किस्तों में प्रथम वर्ष 0.04 लाख द्वितीय वर्ष 0.03 लाख तृतीय वर्ष 0.03 लाख	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
घ.	परियोजना आधारित जैविक प्रमाणीकरण	5.0/50 हे० का क्लस्टर हेतु, तीन किस्तों में प्रथम वर्ष ₹1.5 लाख,	राष्ट्रीय बागवानी मिशन

क्र0 सं0	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना का नाम
		द्वितीय वर्ष ₹1.5 लाख, तृतीय वर्ष ₹2 लाख	
ड.	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण	अंगीकरण हेतु अधिकतम 4150 रु0/एकड़ प्रमाणीकरण हेत अधिकतम 1000 रुपये/एकड़ किसान/संस्था उत्पादन समुह बिहार राज्य बिज प्रमाणन एजेसी के माध्यम से	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
9	जैव उर्वरक उत्पादन	पब्लिक सेक्टर (शत प्रतिशत) तथा प्राईवेट सेक्टर को 40% अधिकतम 64 लाख रूपये अनुदान देय	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
10	गोबर गैस 02 घनमीटर क्षमता	• लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19,000 रू0	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
11	वर्मी कम्पोस्ट वितरण	वर्मी कम्पोस्ट क्रय करने पर मूल्य का 50% अधिकतम 3 रू0 प्रति किलोग्राम अनुदान देय	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)

क्र0 सं0	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना का नाम
12	हरी चादर योजना– मूंग ढ़ैचा	लागत मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1898 रुपये प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य का 90 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 675 रुपये प्रति हेक्टेयर	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
13	जैव उर्वरक वितरण	लागत मूल्य का 50% अधिकतम 75 रू0 प्रति हे0 अनुदान देय	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
14	दलहनी फसल हेतु जैव उर्वरक का वितरण	रू0 300 प्रति हे0 की दर से या लागत का 50% जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
15	रबी/गरमा फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू० 200/- प्रति एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
16	रबी/गरमा फसलों के लिए जैव उर्वरक	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू० 120/- प्रति एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
17	रबी/गरमा फसलों के लिए जिप्सम/फास्फो	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू० 300/- प्रति एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
18	रबी/गरमा फसलों के	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू०	राष्ट्रीय कृषि विकास

क्र0 सं0	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना का नाम
	लिए पौधा संरक्षण रसायन, जैव कीटनाशी एवं जैव घटक	200/- प्रति एकड़	योजना
19	रबी/गरमा फसलों के लिए खरपतवारनाशी	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू० 200/- प्रति एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
20	बीजोपचार रसायन	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू० 150/- प्रति हेक्टेयर	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
21	फेरोमोनट्रैप	लागत मूल्य का 90% अधिकतम रू० 900/- प्रति हेक्टेयर	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
22	बायोपेस्टीसाईड	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू० 500/- प्रति हेक्टेयर	राज्य योजना (जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम)
23	खरपतवारनाशी वितरण	लागत मूल्य का 50% अधिकतम रू0 500/— प्रति हेक्टेयर	टाल विकास योजना

किससे सम्पर्क करें जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक आत्मा/सहायक निदेशक उद्यान/कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी।

2. बीज

क्या करें ?

- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई बीज किस्मों, बीज दर एवं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसिस को अपनायें।
- गेहूं, धान, जौ, दलहन, (अरहर को छोड़कर) तिलहन (राई, सरसों, सूरजमुखी को छोड़कर) तीन वर्ष में एक बार, कम्का, बाजरा, ज्वार अरहर, राई, सरसों एवं सूरजमुखी दो वर्ष में एक बार एवं संकर बीज प्रत्येक वर्ष बदलें।
- केवल अधिकृत एजेसियों से प्रमाणित/मूल बीज खरीदें और इन्हें ठंडी, सूखी और साफ जगह पर रखें।
- बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व बीज गुणवत्ता परीक्षण जैसे शुद्धता, अंकुरण और खरपतवार रहित होने की जाँच कर लें।

क्र. सं.	फसलों का नाम	प्रमाणित/आधार बीज	योजना का नाम
बीज उत्पादन के लिए सहायता			
1.	• धान, • अरहर • गेहूँ • चना • मसूर	• 6 किलो बीज पर 90% अनुदान • 2 किलो बीज पर 90% अनुदान • 20 किलो बीज पर 90% अनुदान • 8 किलो बीज पर 90% अनुदान • 4 किलो बीज पर 90% अनुदान	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम
2.	• तेलहन • दलहन • अन्य	• 60% अनुदानित दर पर • 60% अनुदानित दर पर • 50% अनुदानित दर पर	एकीकृत बीज ग्राम योजना

3.	• गेहूँ • तेलहन • दलहन	• 50% अनुदानित दर पर • 60% अनुदानित दर पर • 60% अनुदानित दर पर	बीज ग्राम योजना/ सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल
4.	बीज उत्पादन/प्रमाणीकरण प्रोत्साहन	रू0 1000 प्रति क्विं0 की दर से सहायता या लागत का 50 % जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
5.	अरहर	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का **50%** जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
6.	मसूर	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का **50%** जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
7.	चना	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का **50%** जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
8.	मूंग	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का **50%** जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
9.	बीज उत्पादन कार्यक्रम (अधिक उपजशील)	रू० 1000 प्रति क्विं० की दर से सहायता	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
बीज वितरण के लिए सहायता			

10	प्रमाणित बीज का वितरण	15 साल से कम पुराने प्रमाणित तेलहन (राई/सरसों/तोरी/मूँगफली/सोयाबीन) बीज प्रभेदों पर अधिकतम अनुदान 2500 रुपया + 800 रुपया (राज्य योजना) प्रति क्विंटल कुल 3300 रुपया प्रति क्विंटल या मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनो में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।	एन०एम०ओ०ओ०पी० योजना
11	संकर बीज वितरण	15 साल से कम पुराने सुर्यमूखी के संकर प्रभेदों पर अधिकतम अनुदान मूल्य 5000 रुपया + 800 रुपया (राज्य योजना) कुल 5800 रुपया/क्विंटल या मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनो में जो न्यूनतम हो अुनदान देय होगा।	एन०एम०ओ०ओ०पी० योजना
12	मटर बीज	क्रय पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000.00 (तीन हजार) रू० प्रति हे० सहायता अनुदान	दियारा विकास योजना
13	गोर्डस यथा (कद्दु, नेनुआ,	अनुदान की राशि लागत मूल्य का	दियारा विकास योजना

	करेला), मेलन तथा भिंडी के हाईब्रिड बीज	50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 (आठ हजार) रू० प्रति हे०	
14	धान (अधिक उपजशील प्रभेद)	रू0 1000 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
15	धान (हाईब्रीड प्रभेद)	रू0 5000 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
16	गेहूँ (अधिक उपजशील प्रभेद)	रू0 1000 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
17	मक्का हाइब्रिड बीज वितरण	5000 रू0 प्रति क्विंटल या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	अरहर	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	मसूर	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	चना	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	मूंग	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

18	उरद	रू0 2500 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
19	संकर धान प्रभेद बीज का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100/किलोग्राम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
20	संकर मक्का प्रभेदों का बीज वितरण	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100/किलो	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
21	अरहर बीज वितरण	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50/किलो	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
22	संकर बाजरा बीज वितरण कार्यक्रम	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100/कि0	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
23	अधिक उपजशील प्रभेदों (प्रमाणित) बीज वितरण	रू0 1000/कि0	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उपयोजना)
24	संकर प्रभेद बीज वितरण	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1000/कि0	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उपयोजना)

किससे सम्पर्क करें जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक आत्मा

3. प्रत्यक्षण

क्या करें ?

- फसल प्रत्यक्षण के लिए बीज उपचार में दवा का उपयोग अनुशंसित दर पर करना चाहिए तथा शेष बीज उपचार दवा का उपयोग विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार एवं आवश्यकता के अनुरूप नर्सरी / फसल में करना चाहिए।
- प्रत्यक्षण स्थल पर एक फ्लैक्सी बोर्ड लगाया जाएगा जिसपर लाभार्थी किसान का नाम, गॉव, पंचायत, प्रखण्ड तथा प्रभेद, प्रयोग किया गया उर्वरक / वर्मी कम्पोष्ट, सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधा संरक्षण रसायन की मात्रा एवं बुआई / रोपनी की तिथि का विवरण मुद्रित करना अनिवार्य है।
- प्रत्यक्षण मॉडल में उपादानों के लिए निर्धारित राशि अनुमानित एवं अधिकतम सहायता अनुदान है, उपादान का मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक होने पर शेष राशि का वहन किसानों द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा उपादान का मूल्य निर्धारित मूल्य से कम होने की स्थिति में राशि का भुगतान उपादान के वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

गेहूँ जौ जब पछिया पावै ।
तब जल्दी से दायां जावे ॥

गेहूँ और जौ को जब पछिया हवा लगती है तब वह जल्द दबाने योग्य हो जाता है ।

क्या पायें

क्र.सं.	प्रत्यक्षण का प्रकार	सहायता	योजना का नाम
1.	श्री विधि (धान) प्रत्यक्षण	0.4 हे0 क्षेत्र पर 2820 रू0 प्रति प्रत्यक्षण अनुदान।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2.	जिरो टिलेज/ सीडड्रिल से धान की सीधी बुवाई का प्रत्यक्षण (DSR)	0.4 हे0 हेतु 2320 रू0 प्रति प्रत्यक्षण अनुदान।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3.	तनावरोधी (Stress tolerant) प्रभेद का प्रत्यक्षण	0.4 हे0 हेतु 1820 रू0 प्रति प्रत्यक्षण अनुदान।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
4.	पैडी ट्रांस प्लांटर से धान की खेती का प्रत्यक्षण	0.4 हे0 हेतु 2320 रू0 प्रति प्रत्यक्षण अनुदान।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
5.	बोरो धान (संकर) प्रत्यक्षण	0.4 हे0 क्षेत्र पर 3000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
6.	फसल पद्यति आधारित श्री विधि (धान)–श्री विधि गेहूँ प्रत्यक्षण	0.4 हे0 क्षेत्र पर 4740 रू0 प्रति प्रत्यक्षण।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

7.	एन0जी0ओ/संस्थान द्वारा सीड ड्रिल मशीन से धान की सीधी बुवाई का प्रत्यक्षण	0.4 हे0 क्षेत्र पर 2552 रू0 प्रति प्रत्यक्षण।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
8.	जिरो टिलेज (गेहूँ) प्रत्यक्षण	0.4 हे0 हेतु रू0 2960 की दर से अनुदान ।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
9.	फसल पद्यति आधारित जिरो टिलेज गेहूँ – गरमा मूंग प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 4960 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
10	गैर सरकारी संगठन/संस्था द्वारा जिरो टिलेज गेहूँ प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 3256 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
11	मसूर फसल प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 3000 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
12	चना फसल प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 3000 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
13	मूंग फसल प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 2000 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

14.	उरद फसल प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 2000 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
15.	अरहर+संकर मक्का का अन्तरवर्ती फसल प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 2730 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
16.	फसल पद्यति आधारित संकर मक्का–मसूर फसल प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 4920 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
17.	फसल पद्यति आधारित तनावरोधी धान प्रभेद–मसूर प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 4820 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
18.	मक्का फसल प्रत्यक्षण (खरीफ/गरमा)	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 1920 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
19.	अर्न्तवर्ती फसल प्रत्यक्षण (संकर मक्का + मूंग/उड़द/अरहर)	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 2000 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
20.	पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान रोपाई प्रत्यक्षण कार्यक्रम	अनुदान की राशि लागत मूल्य रू0 2320/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना एवं सामान्य)

21.	श्रीविधि धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 2820/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना एवं सामान्य)
22.	तनावरोधी धान प्रभेदों का प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 1820/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना)
23.	सुगंधित धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 1820/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
24.	संकर मक्का के साथ दलहन अर्न्तवर्ती प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 2320/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
25.	जीरो टिलेज/सीड ड्रील मशीन से धान की सीधी बुआई प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 2320/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना)
26.	मसूर प्रत्यक्षण (रबी)	रू० 2680/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना)
27.	जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की सीधी बुआई	रू० 2960/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना)

28.	मडुआ प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 855/एकड़	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)
29.	गैर सरकारी संगठन/संस्थान द्वारा मसूर प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 3300 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
30.	गैर सरकारी संगठन/संस्थान द्वारा चना प्रत्यक्षण	प्रति 0.4 हे0 प्रत्यक्षण रू0 3300 की दर से अनुदान सहायता।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
31.	राई/सरसो/तोरी सूर्यमुखी मूगफली तीसी	रू0 1200/एकड़ रू0 1600/एकड़ रू0 3000/एकड़ रू0 1200/एकड़	नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम

किससे सम्पर्क करें जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक आत्मा

खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत ॥
खाद बिना खेती नहीं, मणी बिना जस नाग ॥
जोत बिना पैदा नहीं, नमक बिना जस साग ॥
गोबर मैला नीम की खली, एह से खेती दूनी फली ॥

गोबर (कम्पोस्ट), मैला (टाउन कम्पोस्ट) और नीम की खली खेत में डालने से पैदावार दूनी हो जाती है।

4. सिंचाई

क्या करें ?

- अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करें।
- चेक बांधों और तालाबों के द्वारा वर्षा के पानी का संचयन करें।
- जल भराव वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, बीज उत्पादन और पौधशाला लगायें।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बूँद–बूँद व फवारा सिंचाई अपनायें। यह 30–37% पानी बचाती है और इससे फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन भी बढ़ जाता है।

क्या पायें

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	योजना का नाम
1.	एल0डी0पी0ई0 पाईप वितरण (100 मीटर/युनिट)	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 2000 दोनों में से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2.	सिंचाई पाईप (PVC / HDPE)	मूल्य का 50% या अधिकतम HDPE पाईप के लिये 50रुपया/मीटर, PVC पाईप के लिये 35 रुपया /मीटर एवं HDPE Laminated Oven Lay Flat Tube के लिये 20 रुपया/मीटर, दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अधिकतम अनुदान सीमा 15,000 रु० प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा।	नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम
3.	पी०भी०सी० पाईप बोरिंग	मूल्य का 50 प्रतिशत (100 फीट तक, 4 इंच व्यास की पाईप हेतु) अधिकतम 7,500 रु०	दियारा विकास की राज्य योजना

किससे सम्पर्क करें जिला कृषि पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी

5. किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण

क्या करें ?

- आत्मा के माध्यम से संचालित विस्तार सुधार योजना के अंतर्गत प्रखंड व निचले स्तर पर समर्पित विस्तार कर्मियों की तैनाती की जा रही है। किसान अपने लिए या अपने क्षेत्र के लिए उचित तकनीकी जानकारी सरकार के किसी भी कार्यक्रम/योजना के बारे में अथवा कृषि संबंधी अन्य जानकारी के लिए इन विस्तार कर्मियों या राज्य सरकार के कृषि व संबद्ध विभागों के कर्मियों से संपर्क करें।
- फार्म स्कूल अथवा प्रदर्शन प्लाट की स्थापना करें अथवा भाग लें।
- वेब से सटीक सूचना प्राप्त करें और हैंड यन्त्र से अपने खेत को पंजीकृत कराएं।
- कृषि से संबंधित नवीनतम ज्ञान व सूचना प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन, एफएम रेडियों स्टेशनों अथवा निजी चैनलों पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।

क्या पायें

क्र0 सं0	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	योजना का नाम
1	किसानों के लिए अंतर्राज्य प्रशिक्षण (50 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	रू0 1250/– प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा कार्यक्रम (एनएमएईटी), एनएचसम/ एचएमएनईचन, एमआई डीएच के अंतर्गत उपस्कीम
2	किसानों के लिए राज्य के अन्दर प्रशिक्षण (100 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	रू0 1000/– प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है।	आत्मा कार्यक्रम (एनएमएईटी),
3	किसानों के लिए जिले के अन्दर प्रशिक्षण (1000 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	आवासीय प्रशिक्षण में रू0 400/– प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है, अन्यथा रू0 250/– प्रति किसान प्रतिदिन	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी), एनएचएम/एचएमएनईएच एमआई डी एच के अंतर्गत उप स्कीम

4	कृषि प्रदर्शन (125 प्रदर्शन प्रति ब्लॉक)	रू0 400/– प्रति प्रदर्शन प्लाट (0. 4 हेक्टेयर)	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)
5	किसान पाठशाला (फसल की 6 महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर प्रति मौसम 25 किसानों को प्रशिक्षण)	रू0 29,414/– प्रति किसान पाठशाला	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)
6	7 दिन का अर्न्तराज्यीय भ्रमण (5 किसाना प्रति ब्लॉक)	रू0 800/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)
7	5 दिन का राज्य के अन्दर भ्रमण (25 किसान प्रति ब्लॉक)	रू0 400/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी), एनएचएम/एचएमएनईएच एमआई डी एच के अंतर्गत उप स्कीम

8	3 दिन का जिला स्तर का प्रशिक्षण भ्रमण (100 किसान प्रति ब्लॉक)	रू0 300/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)
9	क) किसान समूहों का क्षमता एवं कौशल विकास व अन्त सहयोगी सेवाओं के लिए (प्रति ब्लॉक 20 समूहों के लिए) ख) आमदनीजनक कार्यो के लिए इन समूहों को एक मुश्त राशि ग) महिलाओं के खाद्य सुरक्षा समूह (प्रति ब्लाक 2 समूह)	रू0 5,000/– प्रति समूह रू0 5,000/– प्रति समूह रू0 5,000/– प्रति समूह	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)

10	भूमि समतलीकरण प्रोत्साहन (चावल)	0.4 हे0 क्षेत्र पर 1200 रू0 प्रति एकड़।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
11	फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण/क्षमता संबर्द्धन (चावल)	14000 रू0 प्रति प्रशिक्षण।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
12	कस्टम हायरिंग अंतर्गत सीडड्रिल मशीन से धान की सीधी बुवाई प्रोत्साहन (चावल)	0.4 हे0 क्षेत्र पर 600 रू0 प्रति एकड़।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
13	बीज उत्पादन/प्रमाणीकरण प्रोत्साहन (चावल)	रू0 1000 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
14	बीज उत्पादन/प्रमाणीकरण प्रोत्साहन (गेहूँ)	रू0 1000 प्रति क्विं0 या लागत का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
15	फसल पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण/क्षमता संबर्द्धन (गेहूँ)	14000 रू0 प्रति प्रषिक्षण।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

16	कस्टम हायरिंग सेन्टर कार्यक्रम (Promotion of Mechanized Line Sowing of Wheat)	0.4 हे0 क्षेत्र पर 600 रू0 प्रति एकड़।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
17	फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण/क्षमता संबर्द्धन (दलहन)	14000 रू0 प्रति प्रशिक्षण।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
18	कस्टम हायरिंग अंतर्गत दलहनी फसलों की सीडड्रिल से सीधी बुवाई का प्रोत्साहन (दलहन)	0.4 हे0 क्षेत्र पर 600 रू0 प्रति एकड़।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
19	मानव संसाधन विकास (कृषक प्रशिक्षण/परिभ्रमण एवं अन्य) परियोजना आधारित	लागत का 100%	राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन
20	मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण	रू0 450/ प्रति व्यक्ति प्रति दिन (दो दिनों के लिए) 5 रिर्सोस परसन सहित 2 सत्रो के लिए	टाल विकास योजना

किससे सम्पर्क करें परियोजना निदेशक "आत्मा" / सहायक निदेशक उद्यान

किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016-17

1. परिचय — सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2016–17 अंतर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों यथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी आदि में अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किसान पुरस्कार योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

2. कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य–

i. अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की उपलब्धियों को अन्य किसानों के बीच प्रचारित करना ताकि वे इसे अपनाकर इसका लाभ उठा सकें।

ii. कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी को जल्द से जल्द कृषकों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित करना।

iii. किसानों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाना।

3. कार्यक्रम का लक्ष्य– किसान पुरस्कार हेतु खरीफ मौसम में संकर धान, रबी मौसम में गेहूँ, आलू एवं गायपालन तथा गरमा मौसम में प्याज कुल 05 व्यवसायों को चिन्हित किया गया है। किसान चयन का आधार सबंधित प्रक्षेत्र में प्रति इकाई अधिकतम उत्पादकता रखी गई है।

4. पुरस्कार का विवरण– प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रखंड स्तर पर 01–01, जिला स्तर पर 01–01 तथा राज्य स्तर पर 03–03 किसानों का चयन किया जाएगा तथा चयनित किसानों को समारोह आयोजित कर निम्न रूपों में पुरस्कृत किया जाएगाः–

क्र0 सं0	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)			
		नगद	साल/मोमेण्टो / अन्य	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार
1.	प्रखंड	2,000 रू0	01 अदद	01 अदद	किसान श्री
2.	जिला	10,000 रू0	01 अदद	01 अदद	किसान गौरव
3.	राज्य	20,000 रू0	01 अदद	01 अदद	किसान श्रेष्ठ

5. **कृषक पुरस्कार हेतु शर्त्तें / मापदण्ड** – किसानें के चयन हेतु मापदण्ड प्रक्षेत्रवार निम्न प्रकार से है–

   I. **खाद्यान्न / दलहनी / तेलहनी फसल–** इस क्षेत्र में चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादकता (क्वि0 / एकड़) होगी। उत्पादकता का निर्धारण खेत में 10m X 5m = 50 वर्गमीटर में फसल कटनी आयोजित कर किया जाएगा।

   ii. **सब्जी फसल–** सब्जी के लिए गुणवत्तापूर्ण सबसे बड़ा एक इकाई का वजन होगा।

   iii. **गायपालन –** गायपालन के लिए एक गाय का एक शाम का अधिकतम दूध उत्पादन की मात्रा होगी। इसके उत्पादकता के निर्धारण के लिए एक तिथि निर्धारित कर प्रखंड के पशुपालकों से एक–एक दूधारू गाय लाने को कहा जाएगा तथा समूह में मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में दूध दुहाई का कार्य सम्पन्न होगा तथा उत्पादकता का निर्धारण किया जाएगा।

   iv. **बकरीपालन –** इसके लिए एक बकरी / बकरा का अधिकतम वजन होगा।

v. **मत्स्यपालन –** मत्स्यपालन के लिए तालाब में 20 दिनों के अंतराल पर 03 बार जाल डाला जाएगा तथा प्रति वर्गमीटर में औसत मात्रा निकाल कर अधिकतम उत्पादकता का निर्धारण किया जाएगा।

6. **किसान की पात्रता –** किसान पुरस्कार के लिए किसान की पात्रता निम्नप्रकार से है–

क. खेती/प्रक्षेत्र के लिए –

I. **कृषि प्रक्षेत्र –** संबंधित किसान कृषि (खाद्यान्न, दलहन, तेहलन) क्षेत्र में कम–से–कम आधा एकड़ में फसल लगाया हो।

ii. **उद्यान प्रक्षेत्र –** संबंधित किसान कम से कम 0.25 एकड़ में सब्जी की खेती किया हो।

iii. **मत्स्यपालन –** इसके लिए किसान के पास कम से कम एक तालाब उपलब्ध हो।

iv. **गायपालन –** इसके लिए किसान के पास कम से कम एक दूधारू गाय उपलब्ध हो।

v. **बकरीपालन –** इसके लिए किसान के पास कम से कम एक बकरा/बकरी उपलब्ध हो।

7. **आवेदन देने की प्रक्रिया –**

7.1. **किसानों का निबंधन** – इच्छुक किसान विहित प्रपत्र अनुसूची–1, 2 तथा 3 में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी आदि क्षेत्रों में चिन्हित व्यवसाय के लिए ऑन–लाईन आवेदन करेंगे। ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। ऑन–लाईन आवेदन पत्र www.bameti.org अथवा www.krishi.bih.in के आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार 2016 के पोर्टल पर जाकर भरा जाएगा।

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना होगा–

- 200 रू0 बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित जमा राशि। ऑन लाईन आवेदन भरते समय बैंक ड्राफ्ट का ड्राफ्ट सं0 एवं तिथि तथा बैंक का नाम भरना होगा तथा 200 रू0 का बैंक ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी आवेदन के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ जमा करना होगा।
- पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड/राशन कार्ड आदि में से किसी एक की प्रति ऑन लाईन अपलोड करना होगा।

8. **प्रखंड स्तर पर आवेदन लेने के लिए समय सीमा का निर्धारण –** खरीफ मौसम के लिए 20 नवम्बर, 2016 तक तथा रबी मौसम में भी 01.12.017 से 15.02.2017 तथा गरमा मौसम के लिए 15 मार्च 2017 से 15 अप्रिल 2017 तक आवेदन पत्र ऑन–लाईन भरे जायेंगे।

किससे सम्पर्क करें

जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक

चित्रा गेहूँ स्वाति भूसा । अनुराधा में नाज न भूसा ॥

चित्रा नक्षत्र में गेहूँ बोने से अच्छी फसल होती है, स्वाति में बोने से भूसा अधिक होता है परन्तु अनुराधा नक्षत्र में बोने से अन्न या भूसा कुछ भी नहीं होता है । सत्ताईस नक्षत्रों में से चित्रा चौदहवां, स्वाती पन्द्रहवां और अनुराधा सत्रहवां नक्षत्र है ।

6. कृषि यांत्रिकरण

क्या करें ?

- भूमि का आकार और फसल के अनुसार उपयुक्त मशीनरी/उपकरण की खरीद करें।
- किसान भाई समूह में कृषि यंत्र बैंक स्थापित कर कृषि यंत्र/उपकरण भाड़े पर लेकर प्रयोग करें।
- **संसाधन बचायें–** जीरोटील/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रारीपर, रोटावेटर, हैप्पी सीड ड्रिल आदि का प्रयोग करें।
- फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि मशीनरी के उचित उपयोग एवं सामयिक रख–रखाव तथा मरम्मति संबंधी दिये जाने वाले प्रशिक्षण का लाभ उठावें।

अनुदान का लाभः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में किसान द्वारा कृषि यंत्र का कुल कीमत भुगतान कर अधिकृत विक्रेता से क्रय करने पर अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में दी जायेगी।

योजना का उद्देश्य :

- उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग
- समय, अर्थ एवं श्रम की बचत
- फसल योजना का समय पर सम्पादन
- समय पर फसल तैयारी का प्रबंधन

कृषि यांत्रिकरण योजना

- कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित कृषि यांत्रिकरण योजना वर्ष 2016–17 के लिए 175.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त है।
- कृषि यांत्रिकरण योजना में कुल 44 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है।
- कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से राज्य के कृषक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन कृषि विभाग के Website: www.krishi.bih.nic.in पर लिये जा रहे हैं।
- वर्त्तमान वर्ष में यांत्रिकरण मेला के बाहर भी ऑनलाईन पंजीकृत विक्रेता से सूचीबद्ध यंत्र क्रय करने पर कृषकों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- वैसे किसान, जिनके द्वारा विगत वित्तीय वर्ष ऑनलाईन आवेदन किये गये थे, परंतु परमीट (स्वीकृति पत्र) नहीं मिला, उन्हें इस वर्ष पुनः परमीट दी जायेगी।
- वर्ष 2016–17 में क्रमशः ट्रैक्टर एवं हाईड्रोलिक ट्रेलर को अनुदानित कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। पम्पसेट, HDPE Laminated Woven Layflat Tube, कम्बाईन हार्वेस्टर, पावर टीलर एवं जीरोटिलेज/सीड कमफर्टिलाईजर ड्रील को छोड़कर शेष यंत्रों को मांग आधारित रखा गया है।

  ऑनलाईन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

क. कृषि यांत्रिकरण पर उपमिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत लागत मानक और सहायता का ढांचा कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता :–

कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि वर्ष : 2016-17

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	अनुदान दर/अधिकत्तम सीमा, जो कम हो (राशि रू0 में)		
		सामान्य	अनुसूचित जाति/जन जाति	योजना का नाम
1	2	3	4	5
1	पावर टीलर (8.71 से 15 एच0पी0तक)	50% अधिकत्तम 50,000	50 % अधिकत्तम 75,000	राज्य योजना
2	लेजर लैंड लेवलर	50% अधिकत्तम 1,00,000	50 % अधिकत्तम 1,50,000	राज्य योजना
3	रोटाभेटर/रोटरी टीलर	50% अधिकत्तम 20,000	50 % अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
4	रिभरसेबुल एम0 बी0 प्लाउ	50% अधिकत्तम 20,000	50 % अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
5	डिस्क हैरो	50 % अधिकत्तम 10,000	50 % अधिकत्तम 14,000	राज्य योजना
6	कल्टीवेटर	50 % अधिकत्तम 10,000	50 % अधिकत्तम 14,000	राज्य योजना
7	रोटो कल्टीवेटर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 27,000	राज्य योजना

8	सब सॉयलर	50% अधिकत्तम 7,500	50% अधिकत्तम 10,000	राज्य योजना
9	जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील/मल्टी क्रॉप प्लांटर	50% अधिकत्तम 30,000	50% अधिकत्तम 40,000	राज्य योजना
10	हैपी सीडर (9 से 10 टाईन)	50% अधिकतम 40,000	50% अधिकत्तम 60,000	राज्य योजना
11	पोटैटो प्लांटर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
12	रेज्ड वेड प्लांटर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
13	सूगर केन कटर कम प्लांटर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
14	पैडी ड्रम सीडर	50 % अधिकत्तम 3,000	50% अधिकत्तम 3,750	राज्य योजना
15	सीड कम फर्टिलाईजर डिबलर	50 % अधिकत्तम 500	50% अधिकत्तम 750	राज्य योजना

16	रीजर/ट्रेनचर	50 % अधिकत्तम 7,500	50% अधिकत्तम 11,000	राज्य योजना
17	पम्पसेट (डीजल/इलेक्ट्रीक) अधिकत्तम 10 एच0पी0 तक	50% अधिकत्तम 10,000	50% अधिकत्तम15,000	राज्य योजना
18	एच0डी0पी0ई0 पाईप (1 मी0)	50% अधिकत्तम 50	50% अधिकत्तम 50	राज्य योजना
19	एच0डी0पी0ई0 लैमीनेटेड वोभेन लेफ्लैट ट्यूब (1 मी0)	50% अधिकत्तम 20	50% अधिकत्तम 20	राज्य योजना
20	वीडर	50% अधिकत्तम 500	50% अधिकत्तम 600	राज्य योजना
21	पावर वीडर	50% अधिकत्तम 15,000	50% अधिकत्तम 20,000	राज्य योजना
23	मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र(स्प्रेयर/डस्टर इत्यादि)	50% अधिकत्तम 500	50% अधिकत्तम 750	राज्य योजना

	मानव चालित रॉकर स्प्रेयर (गटोर)	50% अधिकत्तम 2,000	50% अधिकत्तम 2,500	राज्य योजना
23	पावर स्प्रेयर/डस्टर/पौधा संरक्षण यंत्र	50% अधिकत्तम 2,000	50% अधिकत्तम 3,000	राज्य योजना
24	कम्बाईन हार्वेस्ट/मेज कम्बाईन हार्वेस्टर	50% अधिकत्तम 4,00,000	50% अधिकत्तम 5,00,000	राज्य योजना
25	स्ट्रा वेलर विदाउट रैक	50% अधिकत्तम 1,50,000	50% अधिकत्तम 2,25,000	राज्य योजना
26	स्ट्रा रीपर/स्ट्रा कम्बाईन	50% अधिकत्तम 1,00,000	50% अधिकत्तम 1,50,000	राज्य योजना
27	रीपर कम बाईंडर	50% अधिकत्तम 1,75,000	50% अधिकत्तम 1,78,500	राज्य योजना
28	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	50% अधिकत्तम 40,000	50% अधिकत्तम 60,000	राज्य योजना
29	ट्रैक्टर माउंटेन रीपर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
30	पोटैटो डीगर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना

31	पावर ऑपरेटेट व्हीट / मेज थ्रेसर	50% अधिकत्तम 15,000	50% अधिकत्तम 20,000	राज्य योजना
32	पावर मेल सेलर	50% अधिकत्तम 10,000	50% अधिकत्तम 15,000	राज्य योजना
33	पेडी थ्रेसर(पावर ऑपरेटेड 6'ड्रम साइज)	50% अधिकत्तम 30,000	50% अधिकत्तम 45,000	राज्य योजना
34	चैफ कटर (मैनुअल)	50% अधिकत्तम 3,000	50% अधिकत्तम 4,500	राज्य योजना
35	पैडी थ्रेसर (मैनुअल)	50% अधिकत्तम 3,000	50% अधिकत्तम 4,000	राज्य योजना
36	विनोवर / पैडी क्लीनर(मैनुअल)	50% अधिकत्तम 2,000	50% अधिकत्तम 3,000	राज्य योजना
37	मिनी रबर राईस मिल	50% अधिकत्तम 45,000	50% अधिकत्तम 67,500	राज्य योजना
38	मिनी दाल मिल / ऑयल मिल	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना
39	ड्रायर	50% अधिकत्तम 20,000	50% अधिकत्तम 30,000	राज्य योजना

40	चैन शॉ फॉर प्रूनिंग	50% अधिकत्तम 10,000	50% अधिकत्तम 15,000	राज्य योजना
41	मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट	50% अधिकत्तम 5,00,000	50% अधिकत्तम 7,50,000	राज्य योजना
42	मखाना पॉपिंग मशीन	50% अधिकत्तम 1,00,000	50% अधिकत्तम 1,50,000	राज्य योजना
43	स्वचालित पैडी ट्रान्सप्लांटर	50% अधिकत्तम 75,000	50% अधिकत्तम 75,000	राज्य योजना
44	मल्टीक्रॉप थ्रेसर	50% अधिकत्तम 40,000	50% अधिकत्तम 40,000	राज्य योजना
45	मल्टी क्रॉप थ्रेसर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 40000/- प्रति इकाई		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अर्न्तगत हरित क्रांति उप योजना
46	पम्पसेट (डीजल/ बिजली) 10 एच.पी. तक	सामान्य जाति के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 10000/- प्रति इकाइ	अनु०जाति/अनु० जनजाति के लिए रू० 15000 प्रति ईकाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अर्न्तगत हरित क्रांति उप योजना

47	सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लाटर (above 4 rows)	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू० 75000/- प्रति इकाई		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना)
48	पावर नैपसेक स्प्रेयर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 3000/- प्रति इकाई		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति उप योजना)
49	मानव चलित पौधा संरक्षण यंत्र नैपसेक एवं डस्टर	सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपया/ यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो. अनुदान देय होगा।	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपया/ यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।	नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम
50	पौधा संरक्षण यंत्र वितरण (पावर स्प्रेयर)	सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपया/यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपया/यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।	नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	सहायता	योजना का नाम
1.	पावर स्प्रेयर	3000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2.	पावर वीडर	15000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3.	लेजर लैड लेवलर	150000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
4.	पैडी थ्रेसर	40000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
5.	मल्टीक्रॉप थ्रेसर	40000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

6.	सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर	75000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
7.	पम्पसेट	10000 रू0 प्रति यन्त्र या मूल्य का 50% जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
8.	पावर नैपसेक स्प्रेयर	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 3000 दोनों में से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
9.	पावर वीडर	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 15000 दोनों में से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
10.	लेजर लैण्ड लेवलर	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 150000दोनों में से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
11.	मल्टीक्रॉप थ्रेसर	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 40000 दोनों में से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
12.	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 10000 दोनों में से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
13.	मानव चलित स्प्रेयर	मूल्य का 50% अधिकतम रु0 600 दोनों मे से जो कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

किससे सम्पर्क करें जिला कृषि पदाधिकारी / परियोजना निदेशक आत्मा

7. बागवानी

मुख्य उद्देश्य :

कृषि जलवायु विशेषताओं के अुनरूप क्षेत्र आधारित विभिन्न कार्य नीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना जिसमें तकनीकी संवर्द्धन, विस्तार, कटाई पश्चात् प्रबंधन एवं विपणन शामिल है, जिसके द्वारा बागवानी उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, पोषण सुरक्षा में सुधार और कृषि परिवारों को आय समर्थन प्रदान करना है।

क्या करें ?

- बागवानी फसलें अपनायें और कम क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन पायें।
- स्वस्थ फसल के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधा लगायें।
- शीत भण्डारण अपनाकर फल एवं सब्जी लम्बें समय तक ताजा रखें।
- कटाई, सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण व पैकेजिंग की सही विधि अपनाकर अधिकतक लाभ उठायें।
- पॉली हाउस, लो– टनल द्वारा गैर मौसमी सब्जियों और फूलों की खेती करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
(PMKSY) (Per Drop More Crop)

सहायतानुदान						
क्र० सं०	श्रेणी / जिला	किसान की श्रेणी	केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश	कुल प्रतिशत
1	DPAP/DDP क्षेत्र एवं NE & H राज्यों के लिए	लघु एवं सीमान्त	36%	24%	15%	75%
		गैर लघु एवं सीमान्त	27%	18%	30%	75%
2	गैर DPAP/DDP क्षेत्र एवं NE & H राज्यों के लिए	लघु एवं सीमान्त	27%	18%	30%	75%
		गैर लघु एवं सीमान्त	21%	14%	40%	75%

क्र० सं०	अवयव	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	सहायतानुदान का तरीका
1	छोटी नर्सरी 1 हेक्टेयर (निजी क्षेत्र में)	₹ 15.00 / इकाई	लागत का 50% अधिकतम ₹7.50 लाख / हे० क्रेडित लिंक्ड बैक इन्डेड अनुदान। न्यूनतम 25 हजार पौधा बहुवार्षिक फसल के लिए तैयार करना अनिवार्य।
2	नये टिश्यू कल्चर इकाई की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र में)	₹ 250.00 / इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%
3	केला (टिश्यू कल्चर) बिना ड्रिप सिंचाई के (1.8m x 1.8m) 3086 पौधे / हे०	₹ 1.25 / हे०	लागत का 50% अधिकतम 0.625 लाख / हे० अनुदान, पौध रोपण सामग्री, आई.एन.एम. / आई.पी. एम. के लिए दो किस्तों में (75 : 25)।
4	सघन बागवानी बिना ड्रिप सिंचाई के		
(i)	आम (5m x 5m) 400 पौधे / हे०	₹ 1.00 / हे०	लागत का 50% अधिकतम 0.50 लाख / हे० अनुदान, पौध रोपण सामग्री, आई.एन.एम. / आई.पी. एम. के लिए तीन किस्तों में (60:20:20)।
(ii)	लीची (4.5m x4.5m) 494 पौधे / हे०		

(iii)	अमरूद (3m x 3m) 1111 पौधे/हे०		
(iv)	आँवला (5m x 4m) 500 पौधे/हे०		
(v)	अनानास की खेती बिना Integration के	₹ 0.875/हे०	लागत का 50% अधिकतम 0.4375 लाख/हे० अनुदान, दो किस्तों में (75 : 25)।
(vi)	पपीता की खेती बिना Integration के	₹ 0.60/हे०	लागत का 50% अर्थात् 0.30 लाख/हे० दो किस्त में (75 : 25)।
5	मशरूम		
(i)	उत्पादन इकाई	₹ 20.00/इकाई	निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50% अधिकतम 10.00 लाख/इकाई क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड अनुदान सिर्फ आधारभूत संरचना के लिए।
(ii)	स्पॉन बनाने की इकाई	₹ 15.00/इकाई	निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50% अधिकतम 7.50 लाख/इकाई क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड अनुदान सिर्फ आधारभूत संरचना के लिए।
(iii)	कम्पोस्ट बनाने की इकाई	₹ 20.00/इकाई	निजी क्षेत्र के लिए लागत का 50% अधिकतम 10.00 लाख/इकाई क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड

			अनुदान सिर्फ आधारभूत संरचना के लिए।
(iv)	स्पॉन एवं मशरूम कम्पोस्ट किट का वितरण	₹ 0.0006 / किट	बिहार सरकार द्वारा ₹54 / किट (लागत का 90 प्रतिशत)
6	बहुवर्षी फलों की सघन बागवानी की द्वितीय वर्ष की देखभाल		
(i)	आम	₹ 1.00 / हे०	0.50 प्रति हे० (देय सहायतानुदान 0.50 का 20 प्रतिशत)
(ii)	लीची	₹ 1.00 / हे०	0.50 प्रति हे० (देय सहायतानुदान 0.50 का 20 प्रतिशत)
(iii)	अमरूद	₹ 1.00 / हे०	0.50 प्रति हे० (देय सहायतानुदान 0.50 का 20 प्रतिशत)
(iv)	आँवला	₹ 1.00 / हे०	0.50 प्रति हे० (देय सहायतानुदान 0.50 का 20 प्रतिशत)
7	बहुवर्षी फलों की सघन बागवानी की तृतीय वर्ष की देखभाल	₹1.00 / हे०	0.50 प्रति हे० (देय सहायतानुदान 0.50 का 20 प्रतिशत)
8	फूल		

(i)	कटे फूल (लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए)	₹1.00/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.50 लाख/हे०
(ii)	खुले फूल (लघु एवं सिमांत कृषकों के लिए)	₹0.40/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.50 लाख/हे०
9	मखाना		
(i)	मखाना का क्षेत्र विस्तार तालाब प्रणाली	₹0.2680/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.1340 लाख/हे०
(ii)	मखाना का क्षेत्र विस्तार खेत प्रणाली	₹0.3204/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.1602 लाख/हे०
10	मसाले अधिकतम 4 हे०/ लाभार्थी		
(i)	मसाले बीज एवं कंद मसाले	₹0.30/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.15 लाख/हे०
11	सगंधीय पौधे अधिकतम 4 हे०/ लाभार्थी		

(i)	मेंथा इत्यादि	₹0.40/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.20 लाख/हे०
12	जीर्णोद्धार	₹0.40/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.20 लाख/हे०
13	संरक्षित खेती		
(i)	प्राकृतिक हवादार प्रणाली		
(a)	ट्यूबलर ढाँचा	₹0.00935/ वर्ग मी०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.004675 लाख रू०/वर्गमीटर प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर के लिए
(ii)	शेड नेट हाउस		
(a)	ट्यूबलर ढाँचा	₹0.00710/ वर्ग मी०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.00355 लाख रू०/वर्गमीटर प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर के लिए
(iii)	वाक इन टनेल	₹0.0006/ वर्ग मी०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतक 0.0003 लाख/वर्गमीटर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर के लिए
(iv)	प्लास्टिक टनेल	₹0.0006/ वर्ग मी०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतक 0.0003 लाख/वर्गमीटर अधिकतम 1000 वर्ग मीटर के लिए

(v)	प्लास्टिक मल्चिंग	₹0.32/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतक 0.16 लाख/हे०
14	उच्च गुणवत्ता वाले सब्जी बीज का पॉली हाउस में उत्पादन	₹0.00140/ वर्ग० मी०	लागत का 50 प्रतिशत प्रति लाभार्थी अधिकतम 4000 वर्ग मीटर के लिए
15	जरबेरा एवं कार्नेशन फूल का पॉली हाउस में उत्पादन	₹0.00610/ वर्ग० मी०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.00305 लाख/वर्गमीटर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर के लिए
16	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/ समेकित कीट–व्याधि प्रबंधन	₹0.04/हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.02 लाख/हे०
17	जैविक खेती		
(i)	जैविक खेती अंगीकरण	₹0.20/हे०	0.10 लाख/हे० अनुदान तीन किस्तों में प्रथम वर्ष 0.04 लाख द्वितीय वर्ष 0.03 लाख तृतीय वर्ष 0.03 लाख
(ii)	जैविक प्रमाणीकरण	परियोजना आधारित	5.00 लाख/50 हेक्टेयर अनुदान तीन किस्तों में प्रथम वर्ष 1.50 लाख द्वितीय वर्ष 1.50 लाख तृतीय वर्ष 2.00 लाख

18	उत्तम कृषि क्रियाएं (लीची)	₹0.20/हे०	0.10 लाख /हे० अनुदान (लागत का 50%)
19	अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण	₹ 25. 00/इकाई	लागत का 75 प्रतिशत 18.75 लाख/इकाई
20	मधुमक्खी पालन द्वारा परागरण में सहयोग		
(i)	मधुमक्खी कॉलोनी	₹0. 02/कॉलोनी (8 फ्रेम)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतक 0.01 लाख/कॉलोनी
(ii)	मधुमक्खी बक्सा	₹ 0.02/बक्सा (8 फ्रेम)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतक 0.01 लाख/बक्सा
21	औजार, मधु निकालने का मशीन के साथ, फूड ग्रेड कन्टेनर (30 किलोग्राम), नेट इत्यादि।	₹ 0.20/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतक 0.10 लाख/इकाई
22	मानव संसाधन विकास (HRD)		
(i)	किसानों का प्रशिक्षण राज्य के अन्तर्गत	₹ 0.01/दिन/ किसान सभी खर्च के साथ	लागत का शत–प्रतिशत
(ii)	किसानों का ज्ञानवर्द्धन यात्रा		

(a)	राज्य के बाहर	परियोजना आधारित	लागत का शत–प्रतिशत
(iii)	प्रशिक्षण/तकनीकी कर्मियों का अध्ययन यात्रा/क्षेत्र कार्यकर्त्ता		
(a)	राज्य के अन्तर्गत	₹ 0. 003/सहभागी तथा TA+DA जो लागू हो।	लागत का शत–प्रतिशत
23	समेकित विदोहन उपरांत प्रबंधन		
(i)	पैक हाउस (9m x 6m)	₹ 4.00/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 2.00 लाख/इकाई
(ii)	इन्टिग्रेटेड पैक हाउस (कन्वेयर बेल्ट, छँटाई, ग्रेडिंग इकाई, धुलाई, सुखाई एवं तौल यंत्र युक्त)	₹ 50. 00/इकाई	लागता का 35 प्रतिशत अधिकतक 17.50 लाख रूपये प्रति इकाई, क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड अनुदान।
(iii)	शीतगृह इकाई टाइप–1, आधारभूत संरचना 250 मे० टन क्षमता से बड़ा, एक तापक्रम जोन के साथ	₹ 0.08/मे० टन,	लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान, अधिकतम क्षमता 5000 मे० टन क्षमता
(iv)	रेफ्रिजेरेटेड यातायात वाहन 9 मे० टन क्षमता	₹ 26. 00/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 13.00 लाख/इकाई

(v)	कम लागत का प्याज भण्डारण हेतु संरचना 25 मे० टन क्षमता	₹ 1.75/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 0.875 लाख/इकाई
24	प्राईमरी/मोबाईल/मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई	₹ 25. 00/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 लाख/इकाई क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान।
25	आसवन इकाई	₹ 5.00/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख/इकाई
26	बागवानी उत्पादों के बाजार हेतु मूलभूत संरचना की स्थापना		
(i)	ग्रामीण बाजार/अपनी मण्डी	₹ 25. 00/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 लाख/इकाई क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान।
27	विशेष कार्यक्रम		
(i)	फ्रूट ट्रैप बैग	₹ 0. 0003/इकाई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.00015 लाख/इकाई
(i)	लेनोबैग	₹ 0. 0002/इकाई	लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम 0.00018 लाख/ इकाई
(iii)	प्लास्टिक क्रेट्स	₹ 0. 004/इकाई	लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम 0.0036 लाख/ इकाई

(iv)	संकर टमाटर की खेती	₹ 0.50 / हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.25 लाख / इकाई
(v)	परवल की खेती	₹ 0.30 / हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.15 लाख / इकाई
(vi)	संकर सब्जी का जैविक उत्पादन	₹ 0.50 / हे०	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 0.25 लाख / इकाई
28	कृषि प्रत्यक्षण एवं वर्कशॉप, सांसद ग्राम आदर्श योजना	₹ 2.00 / इकाई	लागत का शत–प्रतिशत

किससे सम्पर्क करें सहायक निदेशक उद्यान

नरसी गेहूँ सरसी जवा । अती बरसे खेसारी लवा ॥

गेहूँ को खुश्क खेत में और जो को तर खेत में बोना चाहिए तथा अधिक पानी पड़ते पर खेसयारी बोनी चाहिये ।

8. ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर

निजी क्षेत्र में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना

राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत् ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजना की स्थापना अंतर्गत निजी क्षेत्र में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार एवं किसानों की आय में वृद्धि करना है। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन, मृदा परीक्षण में लगने वाले समय को कम करना एवं किसानों को उनके द्वार पर मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना। इस परियोजना हेतु वर्ष 2016–17 में व्यक्तिगत श्रेणी में 12 एवं समूह/विद्यालय श्रेणी में 24 इकाई की स्थापना करने का लक्ष्य है, जिसमे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाना है।

आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथिः– आवेदन पत्र दिनांक 02.11.2016 से ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के उपलब्ध रहने तक ऑनलाईन आवेदन पत्र www.biharsoilhealth.com पर प्राप्त एवं प्रेषण किया जा सकता है, जिसका लिंक कृषि विभाग के वेवसाइट www.Krishi.bih.nic.in पर भी उपलब्ध होगा। प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त आवेदन पत्रों को कृषि निदेशालय द्वारा अनुशंसा हेतु संबंधित जिला को उपलब्ध कराया जायेगा।

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच एवं छँटनी कर योग्य आवेदनों को अपनी अनुशंसा के साथ कृषि निदेशक को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् कृषि निदेशक द्वारा सम्यक जाँच कर आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयनित आवेदकों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। योग्य आवेदकों की संख्या लक्ष्य से ज्यादा होने पर माह में प्राप्त आवेदनों को जिला से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत लॉटरी द्वारा चयनित किया जायेगा।

परियोजना लागत

क्र०स०	मद	ब्यौरा	मूल्य
1.	यंत्र, उपकरण, रसायन, ग्लासवेयर, अन्य प्रयोगशाला सामग्रियाँ	मिनी लैब उपस्कर के साथ	6.50 लाख रु०
2.	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण क्रय	कम्प्यूटर , प्रिंटर , स्कैनर , GPS यंत्र	1.00 लाख रु०
3.	आकस्मिक व्यय	डाटा इंट्री ऑपरेट र एवं कर्मी का मानदेय, कार्टेज, ईंधन, विद्युत एवं जल आपूर्त्ति, डाटा कनेक्टिविटी, लेखन–सामग्री, वार्षिक रख–रखाव	2.00 लाख रु०
4.	परिवहन	मोटर साईकिल इत्यादि	0.50 लाख रु०
कुल			**10.00 लाख रु०**

नोट :– इस योजना में भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड मद में निर्धारित वित्तीय सीमा के अंतर्गत रु0 300/– प्रति नमूना की राशि परियोजना लागत के अतिरिक्त नमूना संग्रहण, मृदा परीक्षण एवं कार्ड वितरण के कार्य के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

लाभार्थी एवं वित्त पोषण का ब्यौरा :-

क्र०	लाभार्थियों का ब्यौरा	परियोजना लागत	अनुदान का विवरण
1.	व्यक्तिगत – 18–40 उम्र सीमा के ग्रामीण उद्यमी, खुदरा उपादान विक्रेता (Input Retailer)	10.00 लाख रु०	परियोजना लागत का अधिकत्तम 40 % या 4 लाख रू० की सीमा तक
2.	समूह – स्वयं सहायता समूह, किसान संयुक्त देयता समूह, कृषक सहकारी समिति, किसान उत्पादक समूह, खुदरा उपादान वितरण केन्द्र (Input Retail Outlet)	10.00 लाख रु०	परियोजना लागत का अधिकतम 80 % या 8 लाख रू० की सीमा तक
3.	संस्थान – जिला में अवस्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय (जहाँ रसायन प्रयोगशाला उपलब्ध है) एवं विज्ञान महाविद्यालय	10.00 लाख रु०	परियोजना लागत का अधिकतम 80 % या 8 लाख रू० की सीमा तक

इस परियोजना में मिट्टी जाँच में प्रशिक्षित कर्मी का कार्यरत होना अनिवार्य है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

इच्छुक लाभार्थी श्रेणी से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों को परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के एक माह के अंदर परियोजना के प्रस्तावित क्रय अपने स्तर से करते हुए विपत्र सत्यापन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे, जिसके सत्यापन के पश्चात् देय अनुदान संयुक्त निदेशक रसायन, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला बिहार, पटना द्वारा लाभार्थी के बैंक खाता में स्थानांतरण किया जायेगा।

किससे सम्पर्क करें

जिला में अवस्थित मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक रसायन, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना से संपर्क कर एवं कृषि विभाग के वेवसाइट www.Krishi.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

9. कृषक हितकारी योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शत्–प्रतिशत अनुदान पर केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे रबी 2007–08 से इस राज्य में चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चावल, गेंहूँ, दलहन एवं कोर्स सीरीयल (मक्का) के उत्पादन में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लाकर खाद्यान्न के मामले में राज्य एवं देश को सुरक्षित करना है। इस मिशन के अन्तर्गत राज्य के उन्ही जिलों को अंगीकृत किया गया है जिनमें चावल, गेंहूँ एवं दलहन की उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है एवं उत्पादन बढ़ानें की असीम संभावना है।

चावल– 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित जिलों को चयनित किया गया है– अररिया, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज,मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल।

गेंहूँ– 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित जिलों को चयनित किया गया है– अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, गोपालगंज, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल।

दलहन– दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लानें के लिए सभी जिलों को आच्छादित किया गया है।

कोर्स सीरीयल (मक्का) – 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में मोटे अनाज के उत्पादन हेतु कोर्स सीरीयल अन्तर्गत मक्का उत्पादन का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया

है, जो राज्य के 11 जिलों यथा बेगूसराय, भागलपुर, पू0 चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णियां, सहरसा, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- वर्ष 2007–08 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की गयी।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

  (i) राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके।

  (ii) राज्यों को कृषि एवं सम्बद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायतता प्रदान करना।

  (iii) कृषि जलवायु स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएँ बनाई जाए, यह सुनिश्चित करना।

  (iv) यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताएँ/फसलों/प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।

(v) केन्द्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।

➢ इस योजना का मुख्यतः तीन घटक हैः—

(i) उत्पादन में वृद्धि

(ii) आधारभूत संरचना एवं परिसम्पत्ति का विकास

(iii) स्थानीय विशेषता के अनुरूप कार्यक्रम का कार्यान्वयन

➢ यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2007—08 से 2014—15 तक यह योजना शत प्रतिशत केन्द्रांश के फंडिंग पैटर्न पर की गई थी परन्तु वर्ष 2015—16 से केन्द्रांश एवं राज्यांश के बीच 60:40 के अनुपात के फंडिंग पैटर्न पर लागू किया की जा रही है।

➢ पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणाली में उत्पादकता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से पूर्वी भारत के सात राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में वर्ष 2010—11 से पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजना की शुरूआत की गई। हरित क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः—

(i) नवीनतम फसल उत्पादन तकनीक के द्वारा चावल एवं गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।

(ii) चावल की खेती के बाद परती रहने वाली भूमि में खेती को प्रोत्साहित कर फसल सघनता एवं किसानों की आमदनी में वृद्धि लाना।

(iii) जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण तथा जल क्षमता का कुशल उपयोग करना।

➢ हरित क्रांति उपयोजना अन्तर्गत निम्न अतःक्षेप लिया जा सकते है।

(i) समूह प्रत्यक्षण

(ii) बीज वितरण (अधिक उपजशील/संकर प्रभेद)

(iii) बीज उत्पादन (अधिक उपजशील/संकर प्रभेद)

(iv) आवश्यकता आधारित उपादानों का वितरण

(क) सूक्ष्म पोषक तत्व एवं मृदा सुधारक

(ख) पौधा संरक्षण रसायन

(ग) फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण

(v) परिसम्पति निर्माण (फार्म यंत्र/मशीन/सिंचाई संयंत्र)

(vi) स्थलीय विशिष्ट आवश्यकताएँ

(vii) विपणन सहायता

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम (NMOOP) योजना अन्तर्गत मिनी मिशन–I (तेलहन) को बिहार में वित्तीय वर्ष 2014–2015 से लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश की राशि 60 प्रतिशत तथा राज्यांश की राशि 40 प्रतिशत है।

मिनी मिशन–I का मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. तेलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में नियमित वृद्धि लाने हेतु तेलहनी फसलों में राई/सरसों/तोरी, सोयाबीन, मूँगफली, तीसी एवं संकर सूर्यमुखी को सम्मिलित किया जाना।

2. भूमि की उर्वरता को बरकरार रखते हुए तेलहन के क्षेत्र में राज्य को पूर्णतः आत्म निर्भर बनाना।
3. कृषकों द्वारा परम्परागत बीज की जगह उन्नत एवं संकर प्रभेदों के बीज के उपयोग में वृद्धि लाना।
4. कृषकों को अन्य उपादान उपलब्ध कराते हुए कृषि तकनीकी हस्तानान्तरण को सफल बनाना।
5. कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
6. कृषकों के बीच रोजगार के अवसर में वृद्धि लाना।

दियारा विकास की राज्य योजना

दियारा विकास योजना राज्य के बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, सारण, सिवान, गोपालगंज, शिवहर एवं सीतामढ़ी कुल– 25 जिलों में कार्यान्वित की जायेगी।

भूमि संरक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार के कुल 14 जिलों यथा पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, जमुई, मुँगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बॉका में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना चलायी जा रही थी।

योजनान्तर्गत मुख्य रुप से फलदार एवं वनदार वृक्षारोपण, जल संग्रह संरचनायें साद अवरोधक बॉध, चेक डैम इत्यादि के निमार्ण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न रूपेण है –

क. फसलोत्पादन उद्यान विकास तथा मत्स्य पालन आदि कार्यो के लिए वर्षा जल का अधिक से अधिक संरक्षण।

ख. संरक्षित जल का समुचित उपयोग, भूमिगत जल स्तर को उपर उठाना एवं जलछाजन क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

ग. उपजाऊ मिट्टी की क्षरण को रोकना।

घ. प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण को संतुलित करना।

राज्य योजना 2014-15 :— योजनान्तर्गत राज्य के आठ जिले यथा बांका, मुगेर, जमुई, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में कुल 946 जल संरचयन संरचना का निर्माण एवं 353 हे0 में SC/ST के जमीन पर फलदार पौधारोपण का कार्य अबतक कराया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014-15 :- योजनान्तर्गत राज्य के उपर्युक्त उल्लेखित 14 जिले में कुल 4318 छोटे एवे बडे आकार के तालाब का निर्माण अबतक कराया गया है।

उत्तर भारत के लिए हरित क्रांति योजना 2014-15 :— योजनान्तर्गत राज्य के उपर्युक्त उल्लेखित 14 जिले में कुल 1950 छोटे एवे बडे आकार के तालाब का निर्माण अबतक कराया गया है।

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलछाजन विकास) :— जलछाजन आधारित इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के उपर्युक्त उल्लेखित 14 जिले में वर्ष 2012—13 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत अबतक कुल 2036 जल संचयन संरचना का निर्माण एवं 581.8 हे0 में पौधारोपण का कार्य कराया गया है। राज्य में वर्ष 2018—19 तक के लिए यह योजना स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 : वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य के 17 जिले यथा पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, जमुई, मुँगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बाँका, भागलपुर, बक्सर एवं भोजपुर में राज्य योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के 23 जिले में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना अन्य अन्तःक्षेप एवं प्रतिबूंद अधिक फसल (अन्य अन्तःक्षेप) का कार्यान्वयन/उत्तर भारत के लिए हरित क्रांति उपयोजना अन्तर्गत पी0सी0डी0 निर्माण एवं बोरवेल लगाने की योजना का कार्यान्वयन/नवादा जिला के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अलग से 345.64 लाख की भूमि एवं जल संरक्षण की योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

1. **कार्य :-**

(I) अधिसूचित प्रजातियों का निबंधन करना।

(ii) क्षेत्र निरीक्षण करना।

(iii) बीज स्त्रोत की जाँच ।

(iv) पृथ्क्कीकरण दूरी ।

(v) बीजों का अभिसंस्करण।

(vi) नमूनाकरण।

(vii) बोरे की टैंगिंग एव बैगिंग।

बीज प्रमाणन से संबंधित शुल्क

1	आवेदन पत्र	निशुल्क
2	निबंधन शुल्क	50/– (पचास) रूपये प्रति उत्पादक प्रति मौसम
3	निरीक्षण शुल्क	
	क) स्वपरागित फसल (गेहूं, चना, मसूर, धान, जौ एवं अन्य फसल	350/– (तीन सौ पचास) रूपये हेक्टर प्रति मौसम
	ख) परपरागित फसल	400/– (चार सौ) रूपये प्रति हेक्टर प्रति मौसम
4	टैग शुल्क	
	क) प्रमाणित टैग	4.00 (चार रूपये) प्रति टैग
	ख) आधार टैग	4.00 (चार रूपये) प्रति टैग
5	बिलंब शुल्क	500.00 (पॉच सौ रूपये) प्रति आवेदन प्रति माह
6	अभिसंस्करण संयंत्र का निबंधन शुल्क तीन वर्षों के लिए	5000 (पॉच हजार) रूपये प्रति संयंत्र

7	संस्थागत निबंधन शुल्क तीन वर्षों के लिए	5000 (पाँच हजार) रूपये प्रति संस्था
8	अभिसंस्करण संयंत्र का नवीकरण शुल्क तीन वर्षो के लिए	5000(पॉच हजार) प्रति संयंत्र
9	संस्थागत नवीकरण शुल्क तीन वर्षों के लिए	5000 (पॉच हजार) रूपये प्रति संस्था

फसल निबंधन की समय -सीमा

क0सं0	फसलकाप्रकार	निर्धारित समय	बिलम्ब शुल्क के साथ
1	गरमा फसलो के लिए	अप्रैल माह के अंत तक	मई माह के अंत तक
2	खरीफ फसलो के लिए	सितंबर माह के अंत तक	अक्टुबर माह के अंततक
3	रबी फसल (दलहन एवं तेलहन) के लिए	नवम्बर माह के अंत तक	दिसम्बर माह के अंत तक
	रबी फसल गेहूँ के लिए	जनवरी माह के अंत तक	फरवरी माह के अंत तक
4	गन्ना शरद कालीन	जनवरी माह के अंत तक	फरवरी माह के अंत तक
	गन्ना वसंत कालीन	मई माह के अंत तक	जुलाई माह के अंत तक

गन्ना प्रमाणीकरण :–बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से गन्ना फसल का भी प्रमाणन कार्य शुरू किया गया है। बिहार राज्य में 5712 लाख हेक्टयर कृषि योग्य भूमि मे से मात्र 2.65 लाख हेक्टेयर भूमि मे गन्ने की खेती होती है। ईख बिहार राज्य का एक प्रमुख नकदी फसल है। ईख उत्पादन पर ही चीनी उद्योग निर्भर है। राज्य में नये चीनी मिल खोले जा रहे हैं। गन्ना बीज की मांग बढ़ेगी। अतएव गन्ना का प्रमाणीकरण प्रारंभ किया गया है। लगभग 5000 (पांच हजार) हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का प्रमाणीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

OECD बीज प्रमाणीकरण योजना :–OECD का पूरा नाम ORGANIZATION FOR ECONIMOC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT है जिसका अर्थ आर्थिक विकास सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है तथा इसका मुख्यालय पेरिस में है। इस संगठन के अन्तर्गत बीज प्रमाणीकरण योजना भी शामिल है। भारत इस संस्था का 56वां सदस्य देश है। वर्तमान समय में इस संस्था का कुल सदस्य देशो की संख्या 58 है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशो का आर्थिक विकास करना है। भारत 2008 में बीज प्रमाणीकरण योजना में शामिल हुआ है। इस योजना का कार्य प्रगति पर है।

बीज उत्पादकों का ऑनलाईन निबंधन :- खरीफ वर्ष 2015 में बीज उत्पादकों का ऑन–लाईन पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। बीज उत्पादक अपना निबंधन बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, कृषि प्रक्षेत्र, मीठापुर पटना के बेब साईट–www.bssca.co.in से कर सकते हैं। इस website पर online registration के link पर click करने पर registration हेतु एक प्रपत्र खुलता है

जिसको भरने के पश्चात Submit करने पर आवेदन क्रमांक generate होता है। आवेदन क्रमांक के साथ बीज उत्पादक आवश्यक राशि बैंक ड्राफ्ट से या नकद एजेन्सी कार्यालय में जमा कर सकते है। किसान भुगतान की विवरणी भुगतान कॉलम में करने के पश्चात् पंजीयन संख्या प्राप्त हो जाता है तथा बीज उत्पादक के पंजीयन की प्रक्रिया पुरी हो जाती है।

जैविक प्रमाणन :- बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य में जैविक प्रमाणन हेतु बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को प्राधिकृत किया गया है। इस एजेन्सी द्वारा इस कार्य में सहयोग करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य जैविक एवं प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून के साथ एकरारनामा किया गया है, जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा जैविक प्रमाणन किया जायेगा। राज्य में जैविक खेती करने वाले कृषक बन्धु अगर चाहें तो प्रमाणीकरण हेतु बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से सम्पर्क कर सकते हैं। एजेन्सी द्वारा उन्हें प्रमाणीकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

तीन बैल, घर में दो चाकी ।
दूर खेत, राजा की बाकी ॥

यदि किसान के पास तीन बैल हों, घर में दो चक्कियाँ, चलें अर्थात् फूट हो खेत भर से बहुत दूर हो और मालगुजारी बाकी रहे तो ये सभी बातें किसान के लिये दुखदायी होती है ।

बीज विश्लेषण

कृषि के क्षेत्र में बीज एक प्राणभूत एवं आधारभूत उपादान है। जिस पर हीं कृषि के अन्य उपादानों की क्षमता निर्भर करती है। कृषि के क्षेत्र में बीज की शुद्धता एवं गुणवत्ता का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान है। कृषकों को सही एवं शुद्ध बीज उपलब्ध कराने में बीज विश्लेषण प्रयोगशालाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा में कृषि विभाग के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, बिहार, पटना सहित अन्य छः क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशालाएँ कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 31 जिलों में भी बीज विश्लेषण प्रयोगशालाएँ अधिष्ठापित की गयी है। जिनको कार्यशील करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

क्रं. स.	प्रयोगशाला का नाम	सम्बद्ध जिलों का नाम
1	2	3
1	राज्य स्तरीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, बिहार, पटना।	पटना, वैशाली, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद एवं अरवल।
2	क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, मुशहरी, मुजफ्फरपुर।	सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण एवं शिवहर।
3	क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, भागलपुर।	भागलपुर, बाँका, मुँगेर, शेखपुरा, जमुई एवं लखीसराय।

4	क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, सहरसा।	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज, कटिहार, एवं अररिया।
5	क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, बहादुरपुर, कृषि प्रक्षेत्र, दरभंगा।	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय।
6	क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, कैमूर (भभुआ)।	कैमूर एवं रोहतास।
7	क्षेत्रीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला, कृषि प्रक्षेत्र छतौनी, मोतीहारी।	पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं गोपालगंज।

इन बीज विश्लेषण प्रयोगशालाओं में कृषकगण अपने कृषि कार्य में उपयोग में लाने वाले बीज नमूनों को नमी रहित थैले में नाम, पता एवं फसल बीज के ब्यौरे के साथ भेजकर प्रति नमूना 1 (एक) रूपया खर्च कर के परीक्षण करा सकते हैं। कृषकगण अपने बीज नमूनों को निकटतम प्रयोगशाला में सीधे भेज सकते हैं अथवा अपने संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

उर्वरता प्रबंधन

किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं कीटनाशी अधिनियम, 1968 के आलोक में इन उपादानों के गुणात्मक जांच हेतु राज्य स्तरीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना में कार्यरत है।

इस प्रयोगशाला में सभी तरह के रसायनिक उर्वरक (सूक्ष्म पोषक तत्व सहित) कार्बनिक उर्वरक (वर्मी कम्पोष्ट, सीटी कम्पोष्ट, ऑरगेनिक मैन्योर, फॉस्फेट रिच ऑरगेनिक मैन्योर) जैव उर्वरक (राईजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाईरिलम, पी० एस० बी०, पोटैशियम मोबलाईजिंग बायोफर्टिलाईजर एवं जिंक सॉल्यूबलाईजिंग बायोफर्टिलाईजर) तथा कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच सुविधा उपलब्ध है।

कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षकों के द्वारा नियमित रूप से नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में भेजा जाता है। तदुपरान्त इन नमूनों का विश्लेषण पटना स्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में किया जाता है। नमूना संग्रह करने के एक सप्ताह के अन्दर नमूना प्रयोगशाला में पहुंचना आवश्यक है एवं नमूना प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर इसकी जांच की जाती है।

इन नमूनों के अत्यधिक संख्या में संग्रह को ध्यान में रखते हुए राज्य में विश्लेषण क्षमता के विस्तार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत तीन नये क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना भागलपुर, सहरसा एवं मुजफ्फरपुर में की गई है। इन तीनों क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में रसायनिक उर्वरक के साथ–साथ कीटनाशकों की जांच की सुविधा विकसित करने की व्यवस्था की जा रही है।

- प्रयोगशाला का नाम – संयुक्त निदेशक (रसायन),
  गुण नियंत्रण, बिहार, पटना, मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र,
  बिहार, पटना, पिन कोड – 800 001,
  दूरभाष संख्या – 09431818718,
  ई० मेल – jdaqcpbihar@gmail.com

कृषि यांत्रिकरण

कस्टम हायरिंग (किराये पर कृषि यंत्र का परिचालन) हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना

कृषि विभाग द्वारा "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना" के अन्तर्गत कृषक बन्धुओं के लिए किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिलों में **कृषि यंत्र बैंक** की स्थापना की जानी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम कृषि शक्ति उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों तथा बटाईदारों तक यांत्रिकरण का विस्तार करना है।

प्रावधानः

- प्रत्येक जिले में 10.00 लाख रू० की लागत से दो, 25.00 लाख रू० की लागत से एक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जानी है, जबकि 40.00 लाख रू० की लागत से 24 जिलों (नालंदा, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बाँका, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया) में एक–एक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जायेगी।
- कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु 40% अनुदान का प्रावधान है तथा शेष 60% राशि आवेदक समूह को वहन करना होगा।

- कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के इच्छुक जीविका के ग्राम संगठन/आत्मा से संबद्ध फार्मर्स इन्टरेस्ट ग्रुप (F.I.G.)/नाबार्ड एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब/स्वयं सहायता समूह (SHG)/पैक्स/व्यापार मंडल/कृषि यंत्र निर्माता/उद्यमी द्वारा विहित प्रपत्र में जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दिया जायेगा।
- आवेदक समूह को कम–से–कम तीन वर्षों तक लगातार कृषि के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- आवेदन का विहित प्रपत्र कृषि विभाग के बेवसाईट www.krishi.bih.nic.in या जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- कृषि यंत्र बैंक हेतु क्रय किये गये मशीनों/उपकरणों का बीमा कराना अनिवार्य होगा।
- कृषकों की सुविधा के लिए 10/25/40 लाख रू० के कृषि यंत्र बैंक का मॉडल भी कृषि विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

किससे सम्पर्क करें

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी

10. कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

(क) कृषि विपणन

क्या करें ?

- किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी एगमार्क नेट वेबसाइट (www.agmarknet.nic.in) पर या किसान काल सेंटर अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- अपना आवश्यकता अनुसार उपलब्ध एसएमएस को देखें और सूचना प्राप्त करें। www.farmer.gov.in/buysell/htm पर क्रेता विक्रेता पोर्टल उपलब्ध है।
- फसल की कटाई और गहाई उचित समय पर की जानी चाहिए।
- उचित कीमत के लिए बिक्री से पहले उचित ग्रेडिंग, पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए।
- उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित बाजार/मंडी में बिक्री के लिए जाएं।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत किसानो को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए फसल कटाई उपरान्त विपणन सहायता अन्तर्गत गोदाम निर्माण (200 मैट्रीक टन क्षमता) के लिए 4.00 लाख रूपये प्रति गोदाम की व्यवस्था की गई है।

(ख) एकीकृत कृषि

क्या करें ?

- कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल/फसल पद्धति को बढ़ावा दें।
- पशुधन, मछलीपालन, बागवानी, दुग्ध उप्पादन, कृषि वानिकी इत्यादि अपनाकर फसल/फसल प्रणाली में विविधता लाए।
- चैक डेंमों, तालाबों, खेत तालाब, उथले/मध्यम तरह के ट्यूबवेलों, कुओं इत्यादि को सिंचाई का साधन बनाएं।
- सिंचाई की प्रभावी पद्धति, भूसमतलीकरण भूमि, मेड़बंधी, कंटूर बंडिंग, खाई निर्माण मल्चिंग, रिज एवं खाना पद्धति इत्यादि जैसी कम जल प्रयोग और नमी संरक्षण की तकनीकों को अपनाए।

क्रियान्वयन की दृष्टि से भारत सरकार की मुख्य रुप से दो तरह की योजनाएं हैं -

पूरे देश के लिए : इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (निर्धारित मापदण्डों पर खरे उतरे राज्यों के लिए) राष्ट्रीय ई–गवर्नेस कृषि योजना और कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय मिशन इत्यादि को रखा गया है। इन राष्ट्रव्यापी योजनाओं में राज्य सरकारें क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए किसानों का चयन करतीं हैं और चुने हुए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देती है।

क्षेत्र, फसल, जिला विशेष के लिए : अन्य सभी योजनाएं इस श्रेणी में आती हैं। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), तिलहन और आयमपाम संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी), कपास प्रौद्योगिकी मिशन, जूट एवं मिस्टा प्रौद्योगिकी मिशन, पूर्वी भारत में हरित

क्रांति का आगाज (बीजीआरईआई) इत्यादि योजनाएं सम्मिलित हैं। यह जानने के लिए कि कौन सी योजनाएं आपके जिले में लागू हैं, कृपया http://dacnet.nic.in/schemes.aspx देखें। इन स्कीमों में भी लाभार्थियों का चयन उपलब्ध बजट एवं मानकों के आधार पर किया जाता है।

बहुत सी राज्य सरकारें जलवायु परिस्थितियों और किसी क्षेत्र विशेष में कृषि विकास के स्तर के आधार पर भारत सरकार के मानक से ज्यादा वित्तीय सहायता भी देती हैं। बहुत से राज्यों द्वारा अपने राज्यों में इस प्रकार की अतिरिक्त सहायता को शामिल करके ऐसी पुस्तक पहले ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी है। कृषि एवं सहकारिता विभाग आत्मा कैफेटीरिया के अन्तर्गत स्थानीय भाषाओं (अंग्रेजी की कुछ प्रतियों सहित) में इस पुस्तिका के नवीनतम प्रारूप जिसमें ऐसी सहायता के लिए राज्य के मापदण्ड भी शामिल हों, के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिससे किसानों को प्रत्येक विषय/घटक से संबंधित पूरी सहायता के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक किसान, राज्य के कृषि/बागवानी विभाग के नजदीकी कार्यालय से संपर्क करके राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की अतिरिक्त सहायता (यदि हो तो) के बारे में पता कर सकते हैं।

(ग) कृषि ऋण

क्या करें ?

- किसान अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- किसानों की फसल ऋण व सावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर में फैले वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।

- बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।
- किसानों को अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिए।
- बैंक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करें, जिसके लिए ऋण लिया गया है।

(घ) पौधा संरक्षण

क्या करें ?

- रासायनिक कीट नाशकों की उपेक्षा जैव कीट नाशकों का प्रयोग करें।
- कोई भी कीट नाशक प्रयोग करने से पहले कीटों के रोग प्रतिरोधक के अनुपात का पता लगाना चाहिए। समेकित कीट प्रबंधन आधारित कृषि पर्यावरण परिस्थिति (एईएसए) पद्धति विश्लेषण अपनाना चाहिए।
- मुख्य फसल (अर्न्तफसलीय/ बार्डर फसलीय) के आस–पास ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो किसान मित्र कीटों को आकर्शित करें जो हानिकारक कीटों से बचाय करें/कीटों को मार दें।
- गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें।
- फसलों की प्रतिरोधी किस्मों जैसी बीटी कपास आदि का चयन करें एवं फसल चक्र, अन्त, फसल, ट्रैप क्रप अपनाकर कीट नियंत्रण करें।

कांसी कूसी चौथ के चान।

अब का रोपबा धान किसान।

जब कांस–कुश में फूल लग गया और भादो की उजली चौथ भी बीत गई तब धान रोपने से क्या फायदा है ?

नक्षत्रों के नाम एवं उनकी अवधि

क्र0	नक्षत्रों के नाम	अवधि
1.	अश्विनी	13 अप्रैल से 26 अप्रैल
2.	भरनी	27 अप्रैल से 10 मई
3.	कृतिका	11 मई से 24 मई
4.	रोहणी	25 मई से 6 जून
5.	मश्गशिरा	07 जून से 21 जून
6.	आर्द्रा	22 जून से 05 जुलाई
7.	पुनर्वसु	06 जुलाई से 19 जुलाई
8.	पुष्य	20 जुलाई से 02 अगस्त
9.	अश्लेषा	03 अगस्त से 16 अगस्त
10.	मघा	17 अगस्त से 29 अगस्त
11.	पूर्वा फाल्गुन	30 अगस्त से 12 सितम्बर
12.	उत्तरा फाल्गुन	13 सितम्बर से 26 सितम्बर
13.	हस्त	27 सितम्बर से 10 अक्टूबर
14.	चित्रा	11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर
15.	स्वाती	24 अक्टूबर से 05 नवम्बर
16.	विशाखा	06 नवम्बर से 18 नवम्बर

17.	अनुराध	19 नवम्बर से 01 दिसम्बर
18.	ज्येष्टा	02 दिसम्बर से 14 दिसम्बर
19.	मूल	15 दिसम्बर से 27 दिसम्बर
20.	पूर्वाषाढ़	28 दिसम्बर से 09 जनवदी
21.	उत्तराषाढ़	10 जनवरी से 23 जनवरी
22.	श्रवणा	24 जनवरी से 05 फरवरी
23.	घनिष्ठा	06 फरवरी से 18 फरवरी
24.	शतश्तारिका	19 फरवरी से 03 मार्च
25.	पूर्वाभाद्र पद	04 मार्च से 16 मार्च
26.	उत्तराभाद्र पद	17 मार्च से 30 मार्च
27.	रेवती	31 मार्च से 12 अप्रैल

अदल-बदल कर बोयें फसल ।
वही खेती में होवें सफल ॥

जो अपने खेत में फसल बदल-बदल कर बोता है अर्थात् एक ही खेत से सदा एक ही फसल नहीं लेता, उसी को खेती में सदा सफलता मिलती है।

जिला स्तरीय पदाधिकारियों का सम्पर्क सूत्र (मोबाईल न०)

क्र0 सं0	जिलों का नाम	जिला कृषि पदाधिकारी	सहायक निदेशक उद्यान	परियोजना निदेशक, आत्मा	भूमि संरक्षण पदाधिकारी	
					उप निदेशक /	सहायक निदेशक
1	अररिया	9431818754	9431818983	9430867417	———	———
2	अरवल	9471008878	9431818981	9471008878	9471008878	9471008878
3	औरंगाबाद	9431818737	9431818940	9771746956	9934415796	9934415796
4	बांका	9431818749	9431818957	9031612769	9470018719	9934520462
5	बेगूसराय	9431818803	9431818948	9471002699	———	———
6	भागलपुर	9431818748	9431818950	9431818748	9470018719	9934520462
7	भोजपुर	9431818732	9431818970	9431818732	9431818732	9431818732
8	बक्सर	9431818799	9431818963	8969303520	9431605089	9430241029
9	दरभंगा	9431818745	9431818945	8809793141	———	———

10	पू0 चम्पारण	9431818741	9431818942	9470601447	———	———
11	गया	9431818735	9431818962	8405970900	9431220103	9431220103
12	गोपालगंज	9431818801	9431818976	7766842900	———	———
13	जमुई	9431818750	9431818984	9431236737	9431251775	9431251775
14	जहानाबाद	9431818800	9431818972	9431818800	9431818800	9431818800
15	कैमूर	9431818734	9431818971	9931116850	9431448049	9431448049
16	कटिहार	9431818755	9431818953	9304920520	———	———
17	खगड़िया	9431818760	9431818954	9431053690	———	———
18	किशनगंज	9431818756	9431818964	9431443490	———	———
19	लखीसराय	9431818804	9431818994	9431818804	9430429157	9430429157
20	मधेपुरा	9431818758	9431818979	9162429332	———	———
21	मधुबनी	9431818746	9431818946	9102550253	———	———
22	मुंगेर	9431818752	9431818949	9431236737	9835014255	9835014255
23	मुजफ्फरपुर	9431818743	9431818941	9431254603	———	———
24	नालन्दा	9431818731	9431818937	9334488456	9431818731	9431818731

25	नवादा	9431818736	9431818973	9431470303	7763029725	7763029725
26	पटना	9431818730	9431818936	9431642905	9470251812	9470251812
27	पूर्णियाँ	9431818753	9431818952	7352084099	———	———
28	रोहतास	9431818733	9431818938	9939214100	9431605089	9430241029
29	सहरसा	9431818757	9431818951	9431818757	———	———
30	समस्तीपुर	9431818747	9431818947	9934667571	———	———
31	सारण	9431818738	9431818938	9801290457	———	———
32	शेखपुरा	9431818751	9431818978	9431236737	9431818751	9471002648
33	शिवहर	9431818802	9431818985	9431818802	———	———
34	सीतामढ़ी	9431818742	9431818977	7542922720	———	———
35	सिवान	9431818739	9431818974	8292237222	———	———
36	सुपौल	9431818759	9431818968	9162429332	———	———
37	वैशाली	9431818744	9431818944	9471002687	———	———
38	प0 चम्पारण	9431818740	9431818943	9431432469	———	———

पौधा संरक्षण प्रभाग के पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नं० एवं ई-मेल

मुख्यालय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों से संबंधित सूचना				
क्र0 सं0	पदनाम	नाम	मोबाईल नं0	ई–मेल
1	2	3	5	4
1	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना	श्री प्रभात कुमार	9431818813	jdappbiharpatna@gmail.com
2	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, मुख्यालय, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना	श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता	9431818714	sureshguptaagri1988@gmail.com
3	उप निदेशक ,पौधा संरक्षण, पटना सर्वेलेन्स एवं आई0पी0एम0, कार्या0 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना।	डॉ० प्रमोद कुमार	9939722844	dr.pramod_kumar@ymail.com

4	उप निदेशक पौधा संरक्षण, प्रयोगशाला मुख्यालय कृषि निदेशालय, बिहार, पटना	श्री अविनाश कुमार	9934600932	kumaravinash211965@gmail.com
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स मु0 पटना कार्या0 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना।	श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता	9431818715	awadhesh.pdr@gmail.com
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, प्रशिक्षण फाईटासेनेट्री प्रयोगशाला पटना कार्या0 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना।	श्री गणेश प्रसाद	9431621558	ganeshprasad.jppo@gmail.com
7	उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल पटना।	श्री देवनाथ प्रसाद	9472277281	dnathpp@gmail.com
8	उप निदेशक, पौधा संरक्षण मगध प्रमंडल, गया।	श्री धर्मवीर पाण्डेय,	9939758170	dr.panday63@gmail.com

9	उप निदेशक, पौधा संरक्षण दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	श्री समीर कुमार	9431818745	dao-dar-bih@nic.in
10	उप निदेशक, पौधा संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	श्री गोपाल शरण प्रसाद	9473200091	gopalsharanprasad.agri@gmail.com
11	उप निदेशक, पौधा संरक्षण कोशी प्रमंडल, सहरसा।	श्री नवीन कुमार	9431818757	dao-sah-bih@nic.in
12	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	श्री अजित कुमार शरण	8986400452	ajitsharan99@gmail.com
13	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना।	श्री सुजीत नाथ मल्लिक	9431669546	adpppatna@gmail.com
14	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालंदा	श्री सतीश कुमार	9431645648	satish1111965@gmail.com

15	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भोजपुर, आरा।	श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा	9934009516	birendrakrsinha1984@gmail.com
16	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, रोहतास, सासाराम। (प्रभारी)	श्री दिनेश नन्दन पासवान	9471002671	amitkumarsnh@gmail.com
17	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गया।	श्री विनय कुमार सिंह	9431077443	binay.kumar5164@gmail.com
18	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	श्री सत्येन्द्र चौधरी	9470020919	choudharysatyendra63@gmail.com
19	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नवादा। (प्रभारी)	श्री रवि कान्त कुमार	9835285971	
20	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, औरंगाबाद। (प्रभारी)	श्री विनय कुमार सिंह	9431077443	binay.kumar5164@gmail.com

21	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर।	श्री कन्हैया सिंह	9934267354	kanhaiyasinghjppo@gmail.com
22	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सीतामढ़ी प्रभारी	श्री अनिल कुमार	9122092602	
23	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, वैशाली, हाजीपुर।	श्री शशि कुमार झा	9430260781	skjha.ppo@gmail.com
24	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)। (प्रभारी)	श्री मुकेश कुमार	9431402272	kmukesh1526@gmail.com
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी/दरभंगा	श्री सतीश चन्द्र झा	9472194631	scjhajppo@gmail.com
26	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, समस्तीपुर।	श्री रविन्द्र कु0 महतो	8863096194	
27	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बेगूसराय। (प्रभारी)	श्री कृष्ण बिहारी	9431818803	dao-beg-bih@nic.in,
28	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सहरसा। (प्रभारी)	श्री संतोष कुमार सुमन	9431818968	adpp010saharsa@gmail.com

29	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ	श्री अनिल कुमार	9431602739	srianilkumar1963@gmail.com
30	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार (प्रभारी)	श्री पंकज कुमार	9525820095	pk4875@gmail.com
31	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा (प्रभारी)	श्री अरूण कुमार	9931493273	arun82403@gmail.com
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, खगड़िया। (प्रभारी)	श्री अरविन्द्र कुमार अमर	8271299777	arvindkumar2k12@gmail.com
33	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, किशनगंज। (प्रभारी)	श्री अनिल कुमार	9431602739	srianilkumar1963@gmail.com
34	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जमुई। (प्रभारी)	श्री सुनील कुमार राय	9955916056	
35	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अररिया। (प्रभारी)	श्री राज कुमार शर्मा	9431274372	

दिनांक :

दिनांक :

(Notes)

दिनांक :

दिनांक :

(Notes)

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

(Notes)

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

दिनांक :

Calender 2018

जनवरी JANUARY

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

फरवरी FEBRUARY

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

मार्च MARCH

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

अप्रैल APRIL

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

मई MAY

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

जून JUNE

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

जुलाई JULY

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

अगस्त AUGUST

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

सितम्बर SEPTEMBER

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

अक्टूबर OCTOBER

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

नवम्बर NOVEMBER

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

दिसम्बर DECEMBER

रवि sun	सोम mon	मंगल tue	बुध wed	गुरू thu	शुक्र fri	शनि sat
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

कृषि संबंधी जानकारी हेतू

डायल करें

1800 180 1551

(यह नं० निःशुल्क है)

प्रकाशक : कृषि सूचना कार्यालय, मीठापुर, पटना, बिहार

ई-मेल : infoagri.co.bihar@gmail.com/omprakashddinfo@gmail.com

वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in

Diksha Art & Prints
+91 9431436534
dikshaart2013@gmail.com